288

संख्याः 201 /XXVIII(1)/2014-68/2013

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 27 जून, 2014

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में राजस्व पक्ष हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता अन्तर्गत प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–318/XXVII (1)/2014, दिनांक 18.03.2014 एवं शासन के पत्र संख्या–1011/XXVIII(1)/2014-98/2013 दिनांक 16.04. 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम 2014 पारित होने के फलस्वरूप अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष की मदों में भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्राविधानित बजट में से मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित बजट में से संलग्न के कॉलम–घ में अंकित आवंटित धनराशि आयोजनागत पक्ष में ₹ 90,00,000.00 /– **(₹ नब्बे लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्राविधानित बजट में से मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित बजट ₹ 02.00 करोड में से ₹ 12.00 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी धनराशि के समायोजन हेतु स्वीकृत नहीं की जा रही है। उक्त आकस्मिकता निधि से ली गयी धनराशि के समायोजन हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का अहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

iii. धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाय अथवा सीधे प्रशासनिक विभाग अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाय को तभी निर्गत किया जायेगा, जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में

समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाय। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा

iv. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

v. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाय।

vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

vii. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय। निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा जोखा रखा जायेगा। प्रशासनिक/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इस का महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान की प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

ix. केन्द्र पोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ट्राईबल सबप्लान के अन्तर्गत बजट प्राविधान/आवंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

x. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुंनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–60(P)/XXVII(3)/2014–15, दिनांक 26 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

3– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

सं0–2001 /XXVIII(1)/2014- 68/2013 एवं दिनांक 27 जून, 2014।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट प्रोष्ठ, सचिवालय देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0 पन्त)
अनु सचिव।

संख्या: 2001 /XXVIII(1)/2014-68/2013, दिनांक 27 जून, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक		आयोजनागत	
क	ख	ग	घ
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105	पश्चात्य शिक्षा पद्धति		
10	चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय		
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20000	9000

₹ 90,000,00.00 (₹ नब्बे लाख मात्र)

(जी0एन0 पन्त)
अनु सचिव।